06.09.24

अधिवक्ता श्री एस. एन. गुप्ता
अधिवक्ता ने प्रतिवादी 5, 10/1,
10/3, 10/4 एवं 11 की तरफ से
आज तक नहीं कराई है।
वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र,
की तरफ से है पूर्व के पारित
आदेश के बाद दिनांक 29.04.24
को अंतिम अवसर दिया जा चुका है
अतः प्रकरण के आदेश 9 नियम 5
सीपीसी के तहत कार्यवाही की जाकर
प्रकरण वर्तमान स्वरूप में खारिज किया
जाता है। पत्रावली नस्तीकृत हो। पत्रावली
समय पश्चात के क्रम के बाद की जाकर
निर्णय की तिथि के अधीन है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:56:31 IST
Reason: SelfAttested